<u>कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश</u>

उपस्थित	**श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश ।**
प्रार्थी	**M/S Tupperware India Pvt. Ltd. 17/5, Tagore Town, Allahabad.**
प्रार्थना-पत्र संख्या व दिनांक	**011 / 15, 08.04.2015**
प्रार्थी की ओर से	**श्री देवव्रत कौशिक, अधिकृत प्रतिनिधि ।**

<u>उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय</u>

प्रार्थी M/S Tupperware India Pvt. Ltd. 17/5, Tagore Town, Allahabad द्वारा दिनांक 08.04.2015 को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसमें उनके द्वारा निम्नलिखित वस्तुओं पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के अन्तर्गत कर की दर का विनिश्चय किये जाने का अनुरोध किया गया है :-

1. Plastic goods such as Bottles, Containers, Lunch Boxes House hold plastic items, jugs, trays, Kitchenware, Tableware etc..
2. Bags of jute or textiles / plastics to carry the plastic lunch box. Bottles or other containers.
3. Crockery, Cutlery, Chinaware, porcelain ware etc.

2. प्रार्थना-पत्र की सुनवाई हेतु श्री देवव्रत कौशिक, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए, उनके द्वारा प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कहा गया कि हरियाणा में PET bottles /jars एवं caps को Articles for the packing of goods, of plastics, के अन्तर्गत माना गया है और इसे इन्डस्ट्रियल यूनिट को न बेचे जाने पर भी इस पर 4% की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है । इस सम्बन्ध में उन्होंने उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत सर्वश्री वर्षा इन्टरप्राइजेज, गाजियाबाद, प्रार्थना-पत्र संख्या-94 / 08, निर्णय दिनांक 12.03.2008, सर्वश्री राज डिस्ट्रीब्यूटर्स, 25 / 38, प्रथम फ्लोर बिशम्भर हाउस कराची खाना, कानपुर, प्रार्थना-पत्र संख्या-54 / 08, निर्णय दिनांक 29.02.2008 एवं सर्वश्री बजरंग बर्तन भन्डार, पी-127, 128 E-ब्लाक, पानी की टंकी, राजाजीपुरम, लखनऊ, प्रार्थना-पत्र संख्या-61 / 09, निर्णय दिनांक 21.01.2010 को सन्दर्भित किया । उनके द्वारा कहा गया कि प्लास्टिक बाटल्स, जग एवं टिफिन बॉक्स उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए के क्रमांक-24 के अन्तर्गत आते हैं, तथा अन्य कन्टेनर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी के क्रमांक-174 के अन्तर्गत आते हैं । इन पर कर की दर स्पष्ट करने का अनुरोध किया गया ।

3. उपरोक्त संदर्भ में एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या-199, दिनांक 06.05.2015 से प्रेषित आख्या में कहा गया है कि उपरोक्त वस्तुओं के विषय में HSN CODE के माध्यम से उनकी करदेयता के सम्बन्ध में निम्न प्रकार जानकारी प्राप्त हुई है :-

<u>M/S Tupperware India Pvt. Ltd. / प्रा0 पत्र सं0-011 / 15 / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

क्रमांक	वस्तु का नाम	HSN CODE
1	Crockery, cutlery, chinaware, porcelain ware	05000018
2	Bags of jute or textiles	2C181001
3	Polythene bages, Plastic bags, Pouches and closures	2C233002
4	Other conveyance articals of Plastic	2A024002
5	Kitchenware, tableware	--

उपरोक्त टेबुल के अनुसार क्रमांक-01 पर अंकित Crockery, cutlery, chinaware, porcelain ware, HSN CODE के अनुसार पॉचवी अनुसूची में अंकित है। अत: यह अवर्गीकृत वस्तु है। क्रमांक-02 में अंकित Bags of jute or textiles, HSN CODE के अनुसार द्वितीय अनुसूची में है। अत: इस पर 4% + 1% = 5% की दर से करदेयता होनी चाहिए। क्रमांक-03 में अंकित Polythene bages, Plastic bags, Pouches and closures, HSN CODE के अनुसार द्वितीय अनुसूची के भाग-2 में है। अत: इस पर भी 4% + 1% = 5% की दर से करदेयता है । क्रमांक-04 पर अंकित Other conveyance articals of Plastic, HSN CODE के अनुसार जो शेड्यूल के भाग-2 में वर्गीकृत है जिस पर 4% + 1% के अनुसार करदेयता होनी चाहिए।

4. प्रस्तुतकर्ता अधिकारी द्वारा कहा गया है कि सर्वश्री राज डिस्ट्रीब्यूटर्स, 25 / 38, प्रथम फ्लोर बिशम्भर हाउस कराची खाना, कानपुर, प्रार्थना-पत्र संख्या-54 / 08, निर्णय दिनांक 29.02.2008 के मामले में प्लास्टिक के बने जार, पेट बाटेल्स पर, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, भाग-सी के क्रमांक-174 के अन्तर्गत 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है, तथा डिनर सेट, ट्रे एवं टेबुल सेट आदि पर, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। सर्वश्री बजरंग बर्तन भन्डार, पी-127, 128 E-ब्लाक, पानी की टंकी, राजाजीपुरम, लखनऊ, प्रार्थना-पत्र संख्या-61 / 09, निर्णय दिनांक 21.01.2010 के वाद में प्लास्टिक की वाटर बाटल, प्लास्टिक के जग और टिफिन बॉक्स को उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-24 के अन्तर्गत other conveyance articals of plastic से आच्छादित माना गया है और इस पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। जूट या टैक्सटाइल बैग उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, पार्ट-सी के क्रमांक-181 के अन्तर्गत आच्छादित हैं इस पर भी 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित होनी चाहिए। Crockery, Cutlery, Chinaware, porcelain ware, किचेन वेयर एवं टेबुल वेयर किसी भी अनुसूची में वर्गीकृत नहीं है इस पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भॉति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होनी चाहिए।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों, प्रस्तुत साक्ष्यों, एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1,

वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन इलाहाबाद द्वारा प्रेषित आख्या एवं मामले से सुसंगत विधिक प्राविधानों का परिशीलन किया गया। पाया गया कि प्रार्थी द्वारा विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक गुड्स जैसे-बाटल्स, कन्टेनर्स, लन्च बॉक्स, जग एवं ट्रे के सम्बन्ध में कर की दर हेतु प्रश्न किया गया है। इन वस्तुओं के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-24, तथा शेड्यूल--II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-174 विचारणीय है जो निम्न भाँति है :-

शेड्यूल-II, पार्ट-ए की प्रविष्टि संख्या-24

other conveyance articals of plastic

शेड्यूल-II, पार्ट-सी की प्रविष्टि संख्या-174

Articles for the packing of goods of plastics, namely, crates, containers, carboys, bottles, jars, jerry canes and their stoppers, lids, caps of plastic but not including insulated wares, natural rubber, balata, gutta percha, guayule, chicle and similar natural gums, in primary forms or in plates, sheets or strips, synthetic rubber and factice derived from oils in primary forms or in plates, sheets or strip; mixtures of any product, reclaimed rubber in primary forms or in plates, sheets or strip, compounded rubber unvulcanized in primary forms or in plates, sheets or strip.

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के पूर्व निर्णय सर्वश्री राज डिस्ट्रीब्यूटर्स, 25 / 38, प्रथम फ्लोर बिशम्भर हाउस कराची खाना, कानपुर, प्रार्थना-पत्र संख्या-54 / 08, निर्णय दिनांक 29.02.2008, तथा सर्वश्री बजरंग बर्तन भन्डार, पी-127, 128 E-ब्लाक, पानी की टंकी, राजाजीपुरम, लखनऊ, प्रार्थना-पत्र संख्या-61 / 09, निर्णय दिनांक 21.01.2010 में वाटर बाटल, किचेन बॉक्स, टिफिन बॉक्स, कन्टेनर्स, जग एवं ट्रे को उक्त प्रविष्टियों से आच्छादित मानते हुए 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की गयी है। अतः इन वस्तुओं पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

जूट के बने बैग्स उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी के क्रमांक-174 से आच्छादित हैं, इन पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है। प्लास्टिक के बने बैग्स उत्तर प्रदेश मूल्य सवंर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-II, पार्ट-सी के क्रमांक-233 से आच्छादित हैं, इन पर 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

Crockery, Cutlery, Chinaware, porcelain ware, किचेन वेयर एवं टेबुल वेयर, उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-I, II, III एवं IV में न आने के कारण इन पर उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के शेड्यूल-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार

....4

अतिरिक्त कर की दर से करदेयता निर्धारित की जाती है।

6 प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्न का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी तथा कम्प्यूटर में अपलोड करने हेतु मुख्यालय के आई0टी0 अनुभाग को प्रेषित की जाये।

दिनांक 01 जून, 2015

ह0 / 01-06-2015

(मृत्युंजय कुमार नारायण)

कमिश्नर वाणिज्य कर

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।